



## दौंड नगरपरिषद, दौंड जि.पुणे

दि.-१०/१०/२०२३

महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ कलम १५० बंतर्गत (नमुना ४८ नियम ७७)

१ एप्रिल २०२३ ते ३१ मार्च २०२४ या वर्षाकीरीता

### कराचे बिल (पोचपावती)

वार्ड क्र: ६ मालमत्ता क्र: १५९६ भाग क्र:

जुना वार्ड क्र: ६ जुना मालमत्ता क्र: १२८०

बिल क्र.

DND12269

मालमत्ता धारक: श्री/श्रीमती/मेरे: धारक ..

मालमत्ते वर्णन: प्लॉट

भोगवटदाराचे नाव:

पत्ता: शिवराज नगर दौंड

पाडेकरूचे नाव: :

संगणक क्र.: NEW

दुकान / इमारतीचे नाव: -

| राचे विवरा      | संकलित कर रु | वृक्ष कर रु | अग्रिशमन कर रु | वि. स्वच्छता कर रु | शिक्षण उपकर रु | रो. ह. उपकर रु | उपयोगकर्ता शुल्क रु | शास्ती दि. ३०/०९/२०२३ पर्यंत | दुकान गाळा भाडे रु | एकूण कर रु |
|-----------------|--------------|-------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|------------------------------|--------------------|------------|
| पक्षीत मागणी रु | २१६६         | १०          | ४२             | ४२                 | ४०२            |                |                     | २१८६                         |                    | ४९२८       |
| चालु मागणी रु   | ४१०          | १७          | ८              | ८                  | ७६             |                |                     |                              |                    | ५१९        |
| एकूण मागणी रु   | २५७६         | १०७         | ५०             | ५०                 | ४७८            |                |                     | २१८६                         |                    | ५४४७       |

मालमत्ता धारकाची किंवा पावती वेणाऱ्याची सही

## दौंड नगरपरिषद, दौंड जि.पुणे

दि.-१०/१०/२०२३



महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ कलम १५० बंतर्गत (नमुना ४८ नियम ७७)

१ एप्रिल २०२३ ते ३१ मार्च २०२४ या वर्षाकीरीता

### कराचे बिल

वार्ड क्र: ६ मालमत्ता क्र: १५९६ भाग क्र:

जुना वार्ड क्र: ६

जुना मालमत्ता क्र: १२८०

बिल क्र.

DND12269

मालमत्ता धारक: श्री/श्रीमती/मेरे:

धारक ..

भोगवटदाराचे नाव:

भाडेकरूचे नाव: :

दुकान / इमारतीचे नाव: -

१) महाराष्ट्र नगर परिषदा नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ तुसार नगर परिषदेचा कर अर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला अर्थात १ एप्रिल रोजी देय होतो. २) नगर परिषदा, नगर पंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ कलम १५०(३) अन्वये विल दिल्यापासून १५ विवाराचे आत विवारीत संपूर्ण रकमेचा भरणा केल्यास संकलित करात १ झाला खालत मिळेल. ३) महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मार्गी (राजपत्र दि. २७/०९/२०१० असाधारण भाग ४) मधिल सुधारीत कलम १५० (१) अन्वये मागणी विलातील थकीत रकमेचा पुर्ण भरणा केरवेत प्रतिमाह २% शास्ती भरावी लागेल व चालु मागणीवर देवक दिनांक पासून तीन महिन्यांनर २% शास्ती आकारण्यात येईल. ५) विहित मुदतीत उपरोक्त रक्कम न भरल्यास कलम १५० अ (१) अन्वये एकूण वकीत रकमेच्या प्रतीमाह २% प्रमाणे शास्ती आकारण्यात येईल. भरणा करणे वंधनकारक राहील. ५) जर विल दिल्यापासून विहित मुदतीच्या काळावधीत कराचा भरणा केला नाही किंवा (अ) पुर्ण कराचा भरणा शास्ती ची रक्कम, व्याज, रक्कम विहित मुदतीत भरली नाही किंवा (ब) कलम १६९ च्या तरतुदीतुसार अशा विला विलुद्ध अप्रिल केली नाही, तर अशी रक्कम व तो वसूल करण्याचा सर्व खर्च कलम १५२ मुख्याधिकारी यांच्या सहित वारंट (अधिपत्र) काढुन आपल्या जंगम किंवा स्थावर मालमत्तेची अटकावाची किंवा जसी करून व ती जाहिर लिलावाद्वारे विकुण वसूलीस पात्र असेल ६) यावर मालमत्तेवावत मा. जिल्हाधिकारी यांची पुर्व मान्यवेत नगर परिषदेचा नामांत्र रक्कमेत आपली स्थावर मालमत्ता तात्प्रयत घेता येईल. ७) सदर देवक ३०/०९/२०२३ संदीस आविन राहुन लागू करण्यात येत आहेत. त्यासुसार त्यानंतर कराची रक्कम अदा केली असल्यास, भरलेली रक्कम सदर विलातुन समायोजित केली जाईल.

### सन २०२३-२४ करीता मागणी

| कराचे विवरण                 | थकीत मागणी रु | चालु मागणी         |                    | चालु वसूली (असल्यास) | सन २०२३-२४ ची एकूण देय मागणी रु |
|-----------------------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|
|                             |               | प्रथम अर्धवार्षाकी | दुसरी अर्धवार्षाकी |                      |                                 |
| संकलित कर रु                | २१६६          | २०५                | २०५                |                      | २५७६                            |
| वृक्ष कर रु                 | १०            | १                  | ८                  |                      | १०७                             |
| अग्रिशमन कर रु              | ४२            | ४                  | ४                  |                      | ५०                              |
| वि. स्वच्छता कर रु          | ४२            | ४                  | ४                  |                      | ५०                              |
| शिक्षण कर रु                | ४०२           | ३८                 | ३८                 |                      | ४७८                             |
| रो. ह. उपकर रु              |               |                    |                    |                      |                                 |
| उपयोगकर्ता शुल्क            |               |                    |                    |                      |                                 |
| शास्ती दि. ३०/०९/२०२३पर्यंत | २१८६          |                    |                    |                      | २१८६                            |
| दुकान गाळा भाडे रु          |               |                    |                    |                      |                                 |
| एकूण कर रु                  | ४९२८          | २६०                | २५९                |                      | ५४४७                            |

महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम १५० अ (१) अन्वये या तारखेनंतर शास्तीसहीत भरावयाची रक्कम.

| विवरण                       | ऑक्टो-२३ | नोव्हें-२३ | डिसे-२३ | जाने-२४ | फेब्रु-२४ | मार्च-२४ |
|-----------------------------|----------|------------|---------|---------|-----------|----------|
| थकीत देय रक्कम रु           | ४९२८     | ४९८३       | ५०३८    | ५०९३    | ५१४७      | ५२०२     |
| पहिली अर्धवार्षाकी मागणी रु | २६०      | २६०        | २६०     |         | ५२९       | ५३९      |
| दुसरी अर्धवार्षाकी मागणी रु | २५९      | २५९        | २५९     | ५६१२    | ५६७६      | ५७४१     |
| एकूण देय रक्कम रु           | ५४४७     | ५५०२       | ५५५७    |         |           |          |

झाडे लावा,  
झाडे जगवा



स्वच्छ दौंड  
सुंदर दौंड



कर विभाग प्रमुख  
दौंड नगरपरिषद, दौंड जि.पुणे

मुख्याधिकारी  
मुख्याधिकारी